



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines

Mine Code: 38RAJ20006

पंजीकृत पावती
उल्लंघन पत्र
माखुपूरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhapura, Industrial Area
अजमेर.-305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

संख्या : RAJ/NGR-22/LST-08

दिनांक : 07.02.2019

प्रेषित : प्रबन्ध निदेशक एवं खान मालिक, चावण्डिया चूना पत्थर खान,
मेसर्स एम डब्लू माइंस प्राइवेट लिमिटेड,
रामदेव मंदिर मार्ग, खिमसर,
जिला-नागौर(राजस्थान), 341 025

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your
Chawandia Limestone Mine (Lease area 335.37 Hect.) situated in Nagaur District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 18.01.2019 by the undersigned in presence of Sh. Kishore Dutta Purohit, Mining Engineer & Dr.H. R. Dandi, Geologist:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Mining Plan (Approved on 08.02.2017): - 1) Development of new mine pits namely Pit 2c (340150E to 340240E & 3002140N to 3002195N) and Pit 3(340600E to 340850E & 3001500N to 3001595N) were observed which was not proposed.
Rule 19(1)	Log book of heavy earth moving machineries have not been maintained.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

(क) आपकी खदान की सारी सक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

(डी. आर. गुर्जर)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, नागौर।
- 4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो